प्रेस नोट **25/02/2026**

जनपद में शांति/सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने के क्रम में पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में दिनांक 24.02.2026 दिन/रात्रि अवैध शराब निष्कर्षण व बिक्री के विरूद्ध एवं सार्वजनिक स्थानो पर शराब पीने वालो के विरूद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया। उक्त अभियान के अन्तर्गत जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में सघन चेकिंग की गई। 185 दुकानों/स्थानों पर गहन तलाशी ली गई। इस दौरान अवैध शराब 42 पाउच बन्टी बबली कुल 8.4 लीटर बरामदगी की गई जिसमें थाना घोसी पुलिस द्वारा 01, थाना कोपागंज पुलिस द्वारा 01 व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर संबंधित धाराओं में विधिक कार्रवाई की गई।

साथ ही चेकिंग अभियान के दौरान 139 सार्वजनिक स्थानो को चेक किया गया जिसमें सार्वजनिक स्थान पर 198 व्यक्तियों को शराब पीने पकड़ा गया, रेलवे स्टेशन, ढाबों, बस स्टैण्ड, धर्मशाला कुल 88 स्थानो की चेकिंग की गयी जिसमें 62 संदिग्ध व्यक्ति पाये गये।

कृत कार्यवाही - उक्त अभियान के तहत कुल 197 व्यक्तियों का 34/290 पुलिस एक्ट व 35 व्यक्तियों को चेतावनी दी गयी।

थाना मधुबन पुलिस द्वारा कटघरा शंकर सब्जी मण्डी मे व्यापारियों की सब्जी चोरी करने वाले 02 नफर अभियुक्त कि गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 02 बोरी आलू/प्याज बरामद–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री अनूप कुमार व क्षेत्राधिकारी मधुबन के कुशल पर्वेक्षण/नेतृत्व में दिनांक 24.02.2026 को थाना मधुबन पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान वादी अश्वनी मल्ल पुत्र स्व0 रमाकान्त वार्ड नं0 5 उसुरी थाना मधुबन जनपद मऊ कटघरा शंकर सब्जी मण्डी मे व्यापारी सन्त कुमार मनोज कुमार, हरे राम, अश्वनी मल्ल, लाली उर्फ सुनील की दुकान है जहां दि0 23-2-26 की रात्रि 12 से 2 बजे के बीच मे अज्ञात चोरो द्वारा आलू, प्याज, लहसुन व अदरक कि बोरियां चुरा ले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 59/2026 धारा 303(2) बीएनएस व बढोत्तरी धारा ,317(2),317(4) बीएनएस थाना मधुबन जनपद मऊ से सम्बन्धित (बाद पहचान सीसीटीवी फुटेज से वादी मुकदमा के स्वयं) अभियुक्तगण 1. कुर्बान अली पुत्र जावेद सा0 कटघरा शंकर थाना मधुबन जनपद मऊ उम्र करीब 19 वर्ष 2. अली हसन पुत्र मु0 वकील सा0 सा0 कटघरा शंकर थाना मधुबन जनपद मऊ उम्र करीब 25 वर्ष को शहीद पार्क कि दिवाल के पास से दिनांक 24.02.2026 को गिरफ्तार किया गया। दौराने गिरफ्तारी मा0 सर्वोच्च न्यायालय व मा0 मानवाधिकार आयोग के आदेशों निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को बाद विधिक कार्यवाही कर आज मा0 न्यायालय रिमाण्ड हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:–

1. कुर्बान अली पुत्र जावेद सा0 कटघरा शंकर थाना मधुबन जनपद मऊ उम्र करीब 19 वर्ष
2. अली हसन पुत्र मु0 वकील सा0 सा0 कटघरा शंकर थाना मधुबन जनपद मऊ उम्र करीब 25 वर्ष

गिरफ्तारी का स्थान व समय-

1. शहीद पार्क कि दिवाल के पास से दिनांक 24.02.2026 को समय करीब 23.55 बजे

बरामदगी का विवरण –

1. एक बोरी आलू , एक बोरी प्याज

गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी व कर्म0गण का नाम:–

1. उ0नि0 लाल साहब गौतम
2. उ0नि0 श्री नीरज यादव
3. उ0नि0 श्री श्यामले यादव
4. हे0का0 दिनकर मौर्य

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 04 अभियुक्तों को 03 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व ₹ 6250-6250 के अर्थदंड से हुए दंडित–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के मा0 न्यायालय SPL(J) sc/st एक्ट कोर्ट जनपद मऊ द्वारा दिनांक 25-02-2026 को मु0अ0सं0 534/2008 धारा 147,148,149,307,504,506,323,452,427 भादवि थाना मुहम्मदाबाद मे दोषसिद्ध अभियुक्त 1. प्रेम सागर पुत्र विश्वनाथ निवासी सोहरावपुर थाना मोहम्मदाबाद 2. सूर्य प्रताप पुत्र गिरीश चंद्र निवासी मालव थाना मोहम्मदाबाद 3. बैजनाथ पुत्र लच्छनदेव निवासी सौसरवा थाना मोहम्मदाबाद 4. मानबहादुर पुत्र खरपत्तू निवासी बनउर थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 03 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं ₹ 6250-6250 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया अर्थ दण्ड न अदा करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में अभियोजन अधिकारी श्री सतेन्द्र नाथ राय (एडीजीसी), प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री आरआर यादव तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी अखण्ड प्रताप गौतम का सराहनीय योगदान रहा।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 04 अभियुक्तों को 01 माह के सश्रम कारावास की सजा व ₹ 250-250 के अर्थदंड से हुए दंडित–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के मा0 न्यायालय ASJ/ SPL(J) sc/st एक्ट जनपद मऊ द्वारा दिनांक 25-02-2026 को 534A/2008 धारा 323,336,504,506 भादवि व 3(1)10 st/sc एक्ट थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ मे दोषसिद्ध अभियुक्त 1. अजय प्रताप सिंह पुत्र उमाशंकर सिंह निवासी माली थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ 2. सतीश चंद्र यादव पुत्र अवधेश यादव निवासी भदीड थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ 3. सहवाज पुत्र सरफराज निवासी हमीरपुर थाना घोसी जनपद मऊ 4. रामधनी यादव पुत्र जंगली यादव निवासी जमालपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ। को कारित अपराध के लिए 01 माह के सश्रम कारावास की सजा एवं ₹ 250-250 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया अर्थ दण्ड न अदा करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में अभियोजन अधिकारी श्री सतेन्द्र नाथ राय (एडीजीसी), प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री आरआर यादव तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी अखण्ड प्रताप गौतम का सराहनीय योगदान रहा।

आपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत 01 दोषसिद्ध अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधी की सजा व न्यायलय उठने तक की सजा व ₹1000 अर्थदंड से हुआ दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट, जनपद मऊ द्वारा दिनांक 19-02-2026 को मु0अ0सं0 112/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोपागंज में दोषसिद्ध अभियुक्त मो0 अरमान पुत्र रिजवानुल्लाह निवासी फुलेलपुरा थाना कोपागंज जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए जेल में बितायी गयी अवधी की सजा व न्यायलय उठने तक की सजा व ₹1000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर दोषसिद्ध को 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा ।